राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 756/2022

शंकर लाल पुत्र श्री नाथू लाल, उम्र लगभग 26 वर्ष, मुकाम कलुम्बरी, पोस्ट वर्ली, तहसील पिंडवाड़ा, जिला सिरोही।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के माध्यम से।
2. पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय, जयपुर।
3. पुलिस महानिरीक्षक, जोधपुर रेंज, जोधपुर।
4. पुलिस अधीक्षक, सिरोही।

---- प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ताओं के लिए : श्री सुशील सोलंकी

प्रतिवादीगणओं के लिए : श्री संदीप सोनी

माननीय श्री न्यायाधीश अरुण मोंगा

आदेश (मौखिक)

18/11/2024

1. याचिकाकर्ता यहां पुलिस अधीक्षक, सिरोही द्वारा पारित दिनांक 13.12.2021 (अनुलग्नक 11) के आदेश का विरोध कर रहा है, जिसके तहत दिनांक 04.12.2019 के विज्ञापन के अनुसार कांस्टेबल के पद के लिए उसकी उम्मीदवारी खारिज कर दी गई थी।

2. संक्षेप में, याचिका में दिए गए प्रासंगिक तथ्य इस प्रकार हैं:

2.1. प्रतिवादीगण विभाग ने विभिन्न जिलों में कांस्टेबल (जीडी) और कांस्टेबल चालक के 773 पदों पर नियुक्तियों के लिए आवेदन आमंत्रित करते हुए दिनांक 04.12.2019 को एक विज्ञापन जारी किया, याचिकाकर्ता ने पात्र होने के कारण एसटी श्रेणी (टीएसपी) के तहत जिला सिरोही के लिए भी इसके लिए आवेदन किया।

(Downloaded on 28/05/2025 at 10:14:56 AM)

2.2. उन्होंने 08.11.2020 को आयोजित लिखित परीक्षा में सफलतापूर्वक उत्तीर्णता प्राप्त की। इसके बाद, याचिकाकर्ता को शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया गया, जो 10.04.2021 को आयोजित की गई थी। याचिकाकर्ता ने शारीरिक दक्षता परीक्षा भी पास कर ली है।

2.3. विज्ञापन जारी होने के बाद, इस बीच याचिकाकर्ता के खिलाफ 11.04.2020 (अनुलग्नक 7) को धारा 143 और 323 आईपीसी के तहत कथित अपराधों के लिए एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसके बाद, याचिकाकर्ता के खिलाफ एक चालान दायर किया गया था, और परीक्षण के बाद, याचिकाकर्ता को 31.08.2021 (अनुलग्नक 8) के एक निर्णय के माध्यम से बरी कर दिया गया था।

2.4. इस बीच, 18.04.2021 (अनुलग्नक 9) के आदेश द्वारा, याचिकाकर्ता को दस्तावेज़ सत्यापन के लिए बुलाया गया था। उल्लेखनीय है कि याचिकाकर्ता ने दस्तावेज़ सत्यापन से पहले और उसके दौरान मामले के पंजीकरण के बारे में जानकारी का खुलासा किया था। हालांकि, इस खुलासे के बावजूद, जब याचिकाकर्ता को नियुक्ति नहीं दी गई, तो याचिकाकर्ता ने 20.09.2021 (अनुलग्नक 10) को एक प्रतिनिधित्व प्रस्तुत किया।

2.5. इसके बावजूद, याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी दिनांक 13.12.2021 (अनुलग्नक 11) के कार्यालय आदेश द्वारा खारिज कर दी गई थी। इसलिए, यह याचिका।

3. प्रतिवादियों द्वारा अपने उत्तर में अन्य बातों के साथ-साथ यह रुख अपनाया गया है कि उनके आवेदन पत्र में "क्या आपके खिलाफ कभी कोई एफआईआर दर्ज की गई है" कॉलम में, याचिकाकर्ता ने "नहीं" के साथ जवाब दिया।

3.1. साथ ही, यह केवल दस्तावेज़ सत्यापन के समय ही था, याचिकाकर्ता ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले के विवरण का खुलासा किया। इस प्रकार उन्होंने नौकरी के लिए आवेदन करने से पहले इसे छिपाने में लिप्त रहे। तदनुसार, विज्ञापन के पैरा 8 और परिपत्र संख्या 1300 दिनांक 28.03.2017 के अनुसार, मामले को विभाग की समिति द्वारा विचार के लिए मुख्यालय को भेज दिया गया था। दिनांक 26.07.2021 के आदेश के अनुसार यह निर्णय लिया गया कि याचिकाकर्ता 1989 के नियम 13(2) के अंतर्गत

(Downloaded on 28/05/2025 at 10:14:56 AM)

कांस्टेबल के पद पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि याचिकाकर्ता के विरुद्ध आपराधिक मामला लंबित है।

3.2 विचारण के पश्चात, निचली अदालत ने दिनांक 31.08.2021 के आदेश द्वारा याचिकाकर्ता को दोषमुक्त तो कर दिया, लेकिन सम्मानपूर्वक नहीं। बल्कि, उसे साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया गया। इसलिए, याचिका खारिज किए जाने योग्य है, क्योंकि इसमें कोई दम नहीं है।

4. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, मैंने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के साथ-साथ प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है और मामले की फाइल का अवलोकन किया है। पक्षों की संबंधित दलीलों के आधार पर प्रतिद्वंद्वी तर्कों को संबोधित किया गया है।

5. संक्षेप में, न्यायनिर्णयन के लिए जो निष्कर्ष निकलता है वह बहुत ही संकीर्ण दायरे में आता है अर्थात

(ए) क्या याचिकाकर्ता आपराधिक कार्यवाही में बरी होने के बावजूद अपने प्रदर्शन का लाभ लेने के लिए अयोग्य है जिसके कारण उसकी उम्मीदवारी रोक दी गई थी?

(बी) क्या याचिकाकर्ता ने दिनांक 04.12.2019 के विज्ञापन के अनुसार प्रश्नगत पद के लिए अपना आवेदन पत्र भरते समय कोई प्रत्यक्ष या गुप्त छिपाव किया था?

6. पहले दूसरे प्रश्न पर ध्यान दें अर्थात कोई छिपाव है या नहीं;

6.1 याचिका में निहित विशिष्ट निर्विवाद कथन के मद्देनजर उक्त प्रश्न का उत्तर बहुत अधिक नहीं है कि विज्ञापन 04.12.2019 को जारी किया गया था और प्रश्नगत पद के लिए आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 20.01.2020 थी और याचिकाकर्ता के खिलाफ आईपीसी की धारा 143 और 323 के तहत कथित अपराधों के लिए 11.04.2020 को एफआईआर दर्ज की गई थी। स्पष्ट रूप से घटनाक्रम स्वयं प्रकट कर रहा है और दर्शाता है कि याचिकाकर्ता ने अपने आवेदन की तिथि तक किसी भी तरह की छिपाव में लिप्त नहीं था, जो कि सभी प्रासंगिक जानकारी प्रदान करने की कट ऑफ तिथि है। इसके अलावा, दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान, याचिकाकर्ता ने स्पष्ट रूप से एफआईआर का

(Downloaded on 28/05/2025 at 10:14:56 AM)

विवरण सद्भावपूर्वक बताया। इस प्रकार, जानबूझकर गलत बयानी या छल का कोई सबूत नहीं है। दूसरे प्रश्न का उत्तर तदनुसार नकारात्मक है।

7. अब पहले प्रश्न पर आते हैं, अर्थात क्या याचिकाकर्ता अपने प्रदर्शन का लाभ लेने के लिए अयोग्य है, इस तथ्य के बावजूद कि उसे उस आपराधिक कार्यवाही में बरी कर दिया गया है जिसके कारण उसकी उम्मीदवारी रोक दी गई थी;

7.1 इस प्रश्न का उत्तर भी अनिवार्य रूप से नकारात्मक में दिया जाना चाहिए, इस तथ्य के मद्देनजर कि बरी होना बरी होना ही है, चाहे वह किसी भी आधार पर हो। इसके अलावा इक्विटी भी याचिकाकर्ता के पक्ष में है। इस पृष्ठभूमि में, याचिकाकर्ता को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा दिनांक 25.01.2022 को पारित आदेश द्वारा निम्नलिखित शर्तों के साथ अंतरिम संरक्षण प्रदान किया गया था:

> *"दोनों दौरों में प्रतिवादियों की ओर से कोई भी वीसी में शामिल नहीं हुआ है।*
>
> *याचिका का जवाब प्रतीक्षित है।*
>
> *याचिका को 3.2.2022 को सूचीबद्ध करें।*
>
> *इस बीच, प्रतिवादीगण उस पद को नहीं भरेंगे, जो 13.12.2021 के आदेश द्वारा याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी रद्द करने के कारण रिक्त हो गया है।"*

8. जैसा भी हो, याचिकाकर्ता को सक्षम न्यायालय द्वारा सभी आरोपों से बरी कर दिया गया है। यह सुनने में भले ही अटपटा लगे, लेकिन निर्दोषता के अनुमान के सिद्धांत पर, बरी किए जाने से याचिकाकर्ता की कानून का पालन करने वाले नागरिक के रूप में स्थिति बहाल हो जाती है। प्रतिवादियों का यह कहना कि बरी किया जाना "सम्मानजनक" नहीं था, केवल अटकलें हैं। बरी किया जाना तब तक वैध रहता है जब तक कि अपील में इसे खारिज न कर दिया जाए। राज्य द्वारा ऐसी कोई अपील दायर नहीं की गई। केवल एफआईआर/मुकदमे के आधार पर याचिकाकर्ता को नियुक्ति देने से मना करना, जिसमें उसे बरी किया गया है, उसे दंडित करने के समान है।

9. इस संदर्भ में राजेंद्र मीना बनाम राजस्थान राज्य1 नामक मामले में कुछ समान परिस्थितियों में मेरे द्वारा दिनांक 13.05.2024 को दिए गए एक अन्य निर्णय का संदर्भ लिया जा सकता है। इससे संबंधित, उपयुक्त होने के कारण, नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

(Downloaded on 28/05/2025 at 10:14:56 AM)

"12. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित अनुपात के बारे में कोई विवाद नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति पुलिस बल में शामिल होना चाहता है, उसका चरित्र और निष्ठा बेदाग होनी चाहिए और यदि किए गए अपराध में कोई नैतिक अधमता शामिल है, तो नियोक्ता को नौकरी की संवेदनशील प्रकृति को देखते हुए उम्मीदवारी को अस्वीकार करने का अधिकार है, जिसके लिए अनुशासनात्मक बल नियुक्त किए जाते हैं।

13. हालांकि, यहां एक ऐसा मामला है जहां याचिकाकर्ता अपनी चयन प्रक्रिया शुरू होने के बहुत बाद में एफआईआर में शामिल था। जैसा कि प्रतिवादियों की ओर से देरी के कारण पता चला, उसे नियुक्त किए जाने से पहले, उसे संबंधित एफआईआर में फंसाए जाने का दुर्भाग्य झेलना पड़ा।

14. यह मानते हुए कि उसे नियुक्ति पत्र जारी करने में कोई देरी नहीं हुई थी, वह सेवा में होता और ऐसी स्थिति में, स्वाभाविक रूप से, केवल एफआईआर दर्ज होने से उसे बाहर नहीं किया जाता, बेशक, नियोक्ता के विवेक पर उचित अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने का अधिकार है।

15. यह बात घिसी-पिटी है कि नियोक्ता ने किसी कर्मचारी के खिलाफ एक साथ कार्यवाही करने का विवेकाधिकार और बरी होने की परवाह किए बिना, यदि कर्मचारी सिविल कार्यवाही में दोषी पाया जाता है, तो उसका परिणाम उसे ऐसी स्थिति में पहुंचा सकता है जहां आपराधिक कार्यवाही में बरी होने का बचाव महत्वहीन है।

16. यह कहने में कोई दो राय नहीं है कि केवल एफआईआर दर्ज होने से कोई नागरिक या तो दोषी या अच्छे चरित्रहीन की स्थिति में नहीं आ जाता। हर नागरिक को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि वह दोषी साबित न हो जाए। इस मामले में यह पता चलता है कि याचिकाकर्ता पर आरोपित भूमिका ऐसी प्रकृति की नहीं है जिससे उसके द्वारा किए जाने वाले कर्तव्यों की प्रकृति पर असर पड़ता हो या अन्यथा, यहां तक कि नैतिक अधमता की सीमा भी हो। यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता पर आरोपित भूमिका केवल इतनी थी कि उसकी जेब में एक कारतूस पाया गया था। यह ऐसा मामला नहीं था जैसे कि वह बंदूक लेकर चल रहा था, जो मुख्य आरोपी के कब्जे में थी।

(Downloaded on 28/05/2025 at 10:14:56 AM)

17. XXXX

18. XXXX

19. इसके अलावा, वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता को केवल इस आधार पर खारिज कर दिया गया है कि उसकी बरी होना सम्मानजनक बरी नहीं है।

20. इस संबंध में विवाद पहले ही सुखजीत सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य (सीडब्ल्यूपी संख्या 9808/2003) नामक मामले में मेरे पिछले फैसले से समाप्त हो चुका है, जिसका फैसला 13.08.2019 को हुआ था, जिसे मैंने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के उप न्यायाधीश रहते हुए सुनाया था, जो बदले में पंजाब एवं हरियाणा तथा मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए खंडपीठ के फैसलों पर आधारित है। तत्काल संदर्भ के लिए, इससे संबंधित नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

"12. प्रत्येक बरी होना सम्मानजनक बरी होना है। दंड प्रक्रिया संहिता में ऐसा कुछ नहीं है और न ही आपराधिक न्यायशास्त्र का कोई नियम है, जो अभियोजन पक्ष द्वारा मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहने पर बरी होने से सम्मानजनक बरी होने के प्रभावों और परिणामों का इलाज करता हो।

13. इस न्यायालय की एक खंडपीठ ने शशि कुमार बनाम उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम और अन्य, 2005 (1) एससीटी 576 नामक एक मामले में मद्रास उच्च न्यायालय की एक अन्य खंडपीठ पर भरोसा करते हुए माना है कि आपराधिक न्यायशास्त्र में सम्मानजनक बरी या पूरी तरह से दोषमुक्त शब्द अज्ञात हैं। उनके लॉर्डशिप एस.एस. निज्जर, जे. (जैसा कि वे तब इस न्यायालय के थे) ने खंडपीठ के लिए बोलते हुए नीचे दिए अनुसार टिप्पणी की:-

7. किसी भी स्थिति में, "सम्मानजनक बरी" या "पूरी तरह से दोषमुक्त" शब्द अज्ञात हैं। दंड प्रक्रिया संहिता या दंड विधिशास्त्र में। ये शब्द भारत संघ बनाम जयराम, एआईआर 1960 मद्रास 325 के मामले में मद्रास उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष विचारार्थ आए। राजमन्नार, सी.जे. खंडपीठ ने अपना निर्णय सुनाते हुए निम्न प्रकार से टिप्पणी की:-

दंड प्रक्रिया संहिता में "सम्मानजनक बरी" जैसी कोई अवधारणा नहीं है। अभियुक्त के अपराध को स्थापित करने का दायित्व अभियोजन पक्ष पर है, और यदि वह उचित संदेह से परे अपराध को स्थापित करने में विफल रहता है, तो अभियुक्त बरी होने का हकदार है।

सिविल सेवा विनियमन के अनुच्छेद 193 का खंड (बी) जो कहता है कि जब निलंबन के अधीन किसी सरकारी कर्मचारी को सम्मानपूर्वक बरी किया जाता है, तो उसे वह पूरा वेतन दिया जा सकता है जिसका वह हकदार होता यदि उसे निलंबित नहीं किया गया होता, यह केवल विभागीय जांच के मामले पर लागू होता है।

जहां कर्मचारी को इसलिए निलंबित किया गया था क्योंकि उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाया गया था, और उसे उसमें बरी कर दिया गया था, और उसे बहाल कर दिया गया था, तो वह हकदार है। सामान्य कानून के तहत,

(Downloaded on 28/05/2025 at 10:14:56 AM)

निलंबन की अवधि के दौरान पूर्ण वेतन का हकदार है। ऐसे मामले में अनुच्छेद 193(बी) लागू नहीं होता है।"

8. मद्रास उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय पर इस न्यायालय ने जगमोहन लाल बनाम पंजाब राज्य के मामले में सचिव, पंजाब सरकार सिंचाई और अन्य, एआईआर 1967 (54) पंजाब और हरियाणा 422 (पंजाब) के माध्यम से विचार किया और उसका पालन किया। उस मामले में, बरी होने पर, याचिकाकर्ता को सेवा में बहाल कर दिया गया था, लेकिन निलंबन की उसकी अवधि को ड्यूटी पर बिताए गए समय के रूप में नहीं माना गया था। इसलिए, उन्होंने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत रिट याचिका दायर की थी जिसमें दावा किया गया था कि वह अपने निलंबन की अवधि के लिए पूर्ण वेतन और भत्ते के हकदार थे। पंजाब सिविल सेवा नियम खंड / भाग-1 के नियम 7.3,7.5 और 7.6 के प्रभाव पर विचार करते हुए, यह निम्नानुसार देखा गया:-

(2) XXX XXX XXX

सरकार ने नियम की जो व्याख्या की है, वह गलत है। याचिकाकर्ता पर जो दोष लगाया गया था, वह यह था कि उसके खिलाफ एक आपराधिक आरोप था, जिसके तहत वह अपना मुकदमा लड़ रहा था। जिस क्षण उसे आरोप से बरी कर दिया जाता है, वह दोष से भी बरी हो जाता है। आपराधिक कानून में, अदालतों को यह तय करने के लिए कहा जाता है कि क्या अभियोजन पक्ष आरोपी को दोषी साबित करने में सफल रहा है। जिस क्षण अदालत आरोपी के अपराध के बारे में संतुष्ट नहीं होती है, उसे बरी कर दिया जाता है। चाहे किसी व्यक्ति को संदेह का लाभ देकर या उस कारण से बरी किया गया हो, परिणाम यह होता है कि उसका अपराध साबित नहीं होता है। दंड प्रक्रिया संहिता सम्मानजनक बरी करने पर विचार नहीं करती है। संहिता में केवल 'बरी' या 'बरी' शब्द ही ज्ञात हैं। कानून की नजर में किसी व्यक्ति के बरी होने या बरी होने का प्रभाव एक जैसा होता है। चूंकि, आपराधिक न्याय प्रदान करने की स्वीकृत धारणाओं के अनुसार, न्यायालय को अभियुक्त के अपराध के बारे में उचित संदेह से परे संतुष्ट होना चाहिए, इसलिए आम तौर पर यह माना जाता है कि न्यायालय के मन में संदेह होने पर, अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया जाता है।

इसलिए, मेरे मन में यह स्पष्ट है कि नियम 7.5 के पीछे का उद्देश्य इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है" जिस क्षण किसी अधिकारी को निलंबित किए जाने के कारण आपराधिक आरोप न्यायालय में विफल हो जाता है, तो उसे दोषमुक्त मान लिया जाना चाहिए। कोई अन्य व्याख्या नियम के मूल उद्देश्य को ही विफल कर देगी। दोषमुक्ति के निर्णय में सम्मानजनक दोषमुक्ति या पूर्ण निर्दोषता की अपेक्षा करना व्यर्थ है। कारण स्पष्ट है; आपराधिक न्यायालयों को अभियुक्त की निर्दोषता का पता लगाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्हें केवल यह पता लगाने में दिलचस्पी है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त के अपराध को उचित संदेह से परे साबित करने में सफल हुआ है या नहीं।"

10. संशोधित 1989 के नियमों के नियम 13(2)(ii) पर प्रतिवादियों द्वारा भरोसा करना पूरी तरह से गलत है। यह नियम प्रत्येक मामले की विशिष्ट परिस्थितियों पर विचार किए बिना मनमाने ढंग से खारिज करने की अनुमति नहीं देता है। धारा 323

(Downloaded on 28/05/2025 at 10:14:56 AM)

(साधारण चोट) और 143 (अवैध रूप से एकत्र होना) के तहत लगाए गए आरोप जघन्य या गंभीर अपराध नहीं हैं। वे नैतिक पतन या कानून और व्यवस्था के लिए गंभीर खतरे का संकेत नहीं देते हैं। किसी भी मामले में याचिकाकर्ता सभी आरोपों से बरी है। बरी किए गए व्यक्ति को अतीत में आपराधिक मुकदमे का हिस्सा होने के कारण कलंकित नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, बरी किए गए आरोपी को रोजगार के अवसर से वंचित करना ऐसे व्यक्तियों के समाज में पुनः एकीकरण के सिद्धांत के खिलाफ है। ऐसा होने के कारण मुझे कोई कारण नहीं दिखता कि प्रतिवादीगण किस आधार पर यह दलील दे रहे हैं कि याचिकाकर्ता बरी किए जाने के किसी भी लाभ का हकदार नहीं है।

11. परिणामस्वरूप, याचिका को अनुमति दी जाती है। दिनांक 13.12.2021 का आदेश (अनुलग्नक 11) निरस्त किया जाता है। प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ता को तत्काल आदेश के वेब-प्रिंट के साथ प्रतिवादियों से संपर्क करने के 30 दिनों की अवधि के भीतर नियुक्ति पत्र जारी करें।

12. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा किया जाता है।

(अरुण मोंगा), न्यायाधीश

52-सुमित/-

क्या प्रकाशन हेतु उपयुक्त : हां / नहीं

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय केवल वादियों के अपनी भाषा में लाभ के लिए हैं तथा इनका किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। निर्णय का अंग्रेजी संस्करण सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए प्रामाणिक होगा और इसे लागू करने में प्राथमिकता दी जाएगी।

एडवोकेट विष्णु जांगिड़

1 राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर – एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 15957/2021

(Downloaded on 28/05/2025 at 10:14:56 AM)